

वशेष श्रेणी का दर्जा

प्रलिस के लयि:

वशेष श्रेणी के राज्य, गाडगलि सूत्र

मेन्स के लयि:

वशेष श्रेणी की स्थिति से जुडे लाभ और मुददे

चरचा में क्यौं?

हाल ही में केंद्रीय वतित मंत्री ने स्पष्ट कयि ककेंद्र कसी भी राज्य के लयि 'वशेष श्रेणी के दर्जे' की मांग पर वचिर नहीं करेगा क्यौंकि 14वें [वतित आयोग](#) ने स्पष्ट रूप से कहा है कवशेष दर्जा नहीं दयि जा सकता है ।

- यह ओडशा, बहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लयि बड़ा झटका है क्यौंकि ये राज्य पछिले कुछ वर्षों से वशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर रहे हैं ।

वशेष श्रेणी का दर्जा (SCS):

परचिय:

- वशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केंद्र द्वारा नरिधारति उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं ।
- संवधान SCS के लयि प्रावधान नहीं करता है और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में पाँचवें वतित आयोग की सफिरशियों के आधार पर कयि गया था ।
- पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को यह दर्जा दयि गया था ।
- पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लयि SCS प्रदान कयि गया था ।
- असम, नगालैंड, हमिचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सकिकिम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहति 11 राज्यों को वशेष श्रेणी का दर्जा दयि गया ।
 - तेलंगाना, भारत के सबसे नवीन राज्य को यह दर्जा दयि गया था क्यौंकि इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कयि गया था ।
- 14वें वतित आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोडकर अन्य राज्यों के लयि 'वशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दयि है ।
 - इसने सुझाव दयि कप्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को 'कर हस्तांतरण' के माध्यम से भरा जाए, केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह कयि गया है ।
- SCS, वशेष स्थिति से अलग है जो बडे हुए वधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि वशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केवल आर्थिक और वत्तीय पहलुओं से संबंधित है ।
 - उदाहरण के लयि [अनुच्छेद 370](#) के नरिसत होने से पहले जम्मू-कश्मीर को वशेष दर्जा प्राप्त था ।

नरिधारक (गाडगलि सफिरशि पर आधारति):

- पहाड़ी इलाका
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हसिसा
- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति
- आर्थिक और आधारभूत संरचना पछिडापन
- राज्य के वतित की अव्यवहार्य प्रकृति

वशेष श्रेणी के दर्जे के लाभ:

- अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में [केंद्र परायोजति योजना](#) में आवश्यक नधिका 90% वशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान

किया जाता है, जबकि शेष नधि राज्‍य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

- वत्तीय वर्ष में अव्ययति नधिव्यपगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़ाया जाता है।
- इन राज्‍यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं नगिम कर में महत्त्वपूर्ण रधियतें प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30% वशिष श्रेणी के राज्‍यों को प्रदान किया जाता है।

वशिष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चत्ताएँ:

- यह केंद्रीय वत्ति पर दबाव में वृद्धिकरता है।
- साथ ही एक राज्‍य को वशिष दर्जा देने सेदूसरे राज्‍य भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लधि आंध्र प्रदेश, ओडशा और बहार द्वारा की जाने वाली मांग।

नषिकर्ष:

- जैसा कि 14वें वत्ति आयोग ने सुझाव दधिया था, राज्‍यों को कर हस्तांतरण बढ़ाकर 42% कर दधिया गया है और इसे [15वें वत्ति आयोग \(41%\)](#) द्वारा भी जारी रखा गया है ताकि SCS का वस्तितार कधि बनिा संसाधन भन्निता/अंतर को कम कधि जा सके।

[स्रोत: द हट्टि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-category-status-2>

